रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 9, 2007/आश्विन 17, 1929

No. 203] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2007/ASVINA 17, 1929

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 8 अक्तूबर, 2007

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन) (संशोधन) विनियम, 2007

फा. सं. बी.वि.वि.प्र./विनियम/2/39/2007.—प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42 और 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन) विनियम 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन) (संशोधन) विनियम, 2007 है।

   (2) ये दिनांक एक नवम्बर, 2007 से प्रवृत्त होंगे।

2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन) विनियम, 2000 में —

   (i) विनियमन 5 के उप-विनियमन (1) "एक सौ घन्टे" तथा "तीन से चार सप्ताह" का स्थानापन्न क्रमशः "पचास घन्टे" तथा "एक से दो सप्ताह" होगा।

   (ii) विनियमन 5 के उप-विनियमन (1) के प्रावधान में "एक सौ पचास घन्टे" तथा "छः से आठ सप्ताह" का स्थानापन्न क्रमशः "पचहत्तर घन्टे" तथा "दो से तीन सप्ताह" होगा।

   (iii) विनियमन 5 के उप-विनियमन (2) में शब्द "पचास घन्टे" स्थानापन्न द्वारा "पच्चीस घन्टे" होगा।

   (iv) विनियमन 5 के उप-विनियमन (2) के प्रावधान में शब्द "सत्तर घन्टे" स्थानापत्र द्वारा "पैंतीस घन्टे" होगा।

सी. एस. राव, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/IV/असा./161/07]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 8th October, 2007

Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations, 2007

F. No. IRDA/Reg./2/39/2007.—In exercise of the powers conferred by Section 42 and Section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Insurance Agents) Regulations, 2000, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations, 2007.

   (2) They shall come into force with effect from 1st November, 2007.

2. In the Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Insurance Agents) Regulations, 2000—

   (i) In sub-regulation (1) of Regulation 5 the words, "one hundred hours" and "three to four weeks" shall be substituted by the words "fifty hours" and "one to two weeks" respectively.

(ii) In the proviso to sub-regulation (1) of Regulation 5, the words, "one hundred fifty hours" and "six to eight weeks" shall be substituted by the words, "seventy five hours" and "two to three weeks" respectively.

(iii) In sub-regulation (2) of Regulation 5 the words, "fifty hours" shall be substituted by the words, "twenty five hours".

(iv) In the proviso to sub-regulation (2) of Regulation 5, the words, "seventy hours" shall be substituted by the words, "thirty five hours".

C. S. RAO, Chairman

[ADVT. III/IV/Exty./161/07]

अधिसूचना

हैदराबाद, 8 अक्तूबर, 2007

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निगमित अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन) (संशोधन) विनियम, 2007

फा. सं. बी.वि.वि.प्र./विनियम/3/40/2007.—प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42 और धारा 42 घ और 114ए की उप-धारा (2) के खंड (ट),(ठ),(ड),(ढ),(ण) और (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से निम्नलिखित विनियम बनाता है जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निगमित अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन) विनियमन, 2002, का संशोधन अर्थात् है :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निगमित अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन) (संशोधन) विनियम, 2007 है ।

(2) ये दिनांक एक नवम्बर, 2007 से प्रवृत्त होंगे ।

2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निगमित अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन) विनियम, 2002 में —

(i) विनियमन 5 के उप-विनियमन (1) "एक सौ घन्टे" तथा "तीन से चार सप्ताह" का स्थानापन्न क्रमश: "पचास घन्टे" तथा "एक से दो सप्ताह" होगा ।

(ii) विनियमन 5 के उप-विनियमन (1) के प्रावधान में "एक सौ पचास घन्टे" तथा "छ: से आठ सप्ताह" का स्थानापन्न क्रमश: "पचहत्तर घन्टे" तथा "दो से तीन सप्ताह" होगा ।

(iii) विनियमन 5 के उप-विनियमन (2) में शब्द "पचास घन्टे" स्थानापन्न द्वारा "पच्चीस घन्टे" होगा ।

(iv) विनियमन 5 के उप-विनियमन (2) के प्रावधान में शब्द "सत्तर घन्टे" स्थानापन्न द्वारा "पैंतीस घन्टे" होगा ।

(v) विनियमन 5 के उप-विनियमन (3) में शब्द "100 घन्टे से कम नही", "150 घन्टे से कम नहीं" तथा "पूरे किए गए पचास घन्टे" का स्थानापन्न क्रमश: "50 घन्टे से कम नहीं", "75 घन्टे से कम नहीं", तथा "पूरे किये गये पच्चीस घन्टे" होगा ।

(vi) विनियमन 5 के उप-विनियमन (3) के प्रावधान में शब्द "सत्तर घन्टे" का स्थानापन्न "पैंतीस घन्टे" होगा ।

सी. एस. राव, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/IV/असा./161/07]

NOTIFICATION

Hyderabad, the 8th October, 2007

Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Corporate Agents) (Amendment) Regulations, 2007

F. No. IRDA/Reg./3/40/2007.—In exercise of the powers conferred by Section 42 and section 42D and clauses (k), (l), (m), (n), (o) and (p) of sub-section (2) of Section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations, 2007.

(2) They shall come into force with effect from 1st November, 2007.

2. In the Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002—

(i) In sub-regulation (1) of Regulation 5, the words, "one hundred hours" and "three to four weeks" shall be substituted by the words "fifty hours" and "one to two weeks" respectively.

(ii) In the proviso to sub-regulation (1) of Regulation 5, the words, "one hundred fifty hours" and "six to eight weeks" shall be substituted by the words, "seventy five hours" and "two to three weeks" respectively.

(iii) In sub-regulation (2) of Regulation 5, the words, "fifty hours" shall be substituted by the words, "twenty five hours".

(iv) In the proviso to sub-regulation (2) of Regulation 5, the words, "seventy hours" shall be substituted by the words, "thirty five hours".

(v) In sub-regulation (3) of Regulation 5, the words "not less than 100 hours", "not less than 150 hours" and "completed fifty hours" shall be substitued by the words, "not less than 50 hours", "not less than 75 hours" and "completed twenty five hours" respectively.

(vi) In the proviso to sub-regulation (3) of Regulation 5, the words, "seventy hours" shall be substituted by the words "thirty five hours".

C. S. RAO, Chairman

[ADVT. III/IV/Exty./161/07]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.